राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–प.1(113) राज–6 / 2015/122 जयपुर, दिनांक : 25.10.19

1. समस्त जिला कलक्टर
   राजस्थान।
2. समस्त भूमि अवाप्ति अधिकारी
   राजस्थान।

विषयः– वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु बन्धक रखी गई भूमियों की अवाप्ति के संबंध में।

परिपत्र

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) के प्रावधानों के तहत अवाप्ताधीन ऐसी भूमियां, जो किसी वित्तीय संस्थाओ से ऋण प्राप्त करने हेतु बन्धक रखी गई है, के संबंध में वित्तीय संस्थाओं के हित सुरक्षित रखे जाने हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

यह सबको विदित है कि अधिनियम, 2013 की धारा 21 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी समस्त हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी करता है। धारा 22 के अन्तर्गत 30 दिवस में हितबद्ध पक्षकार, जिसमें बन्धकदार भी सम्मिलित है, अपने हितो के लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी को अपना पक्ष रख सकते है। इसकी जांच उपरांत धारा 23 में अवार्ड पारित किया जाता है। यदि काश्तकार / खातेदार बन्धकदार को देय बकाया राशि का भुगतान कर बंधकमुक्त नही कराता है तो भूमि अवाप्ति अधिकारी को ऐसी बन्धकदार वित्तीय संस्थाओं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में उनको देय मुआवजा राशि की गणना कर अवार्ड में सम्मिलित करना चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय
25.10.19
(कमलेश आबूसरिया)
उप शासन सचिव

Scanned by CamScanner